राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

क्रमांक :–एफ.2(7070)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/00296/2019 दिनांक 23/01/2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित परीक्षाओं में पत्राचार/दूरस्थ माध्यम से सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:–

क्र. स.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	कोर्स का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
1.	1330	सुश्री/श्रीमती राजलक्ष्मी शर्मा	कार्यालय उपमुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग, जयपुर रीजन, जयपुर	N.D.D.Y Ist Year	Institute of Naturopathy & Yoga, Jaipur
2	1385	श्री रामकरण बाज्या	कार्यालय एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग पंचायत समिति कुचामन सिटी जिला नागौर	MCA	Jaipur National University, Jaipur Raj.
3	1693	श्री राजेश कुमार	कार्यालय एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, शाहबाद जिला बारां	MCA	Jaipur National University, Jaipur Raj.
4	2090	श्री राहुल कुमार चंदेल	कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचन विभाग, रामगंजमंडी, कोटा	Msc Computer Science	Vmou. Kota
5	2247	श्री राजू लाल जाट	कार्यालय एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, भीलवाड़ा	M.A. POLIT. SCIENCE FINAL YEAR	Maharshi Dayanand University Ajmer Raj.
6	2542	श्री राजेश कुमार मीणा	कार्यालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रै), लक्ष्मणगढ, सीकर	Msc. IT IInd year	Dr. C.V. Raman University, ChhattishGarh

उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायकों, को राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

Sd

(आशुतोष.एम.देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. संबधित विभागाध्यक्ष........................।
2. संबधित कर्मचारी..............................।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव